

पटना में दिनांक-31 दिसम्बर, 2019 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 1. | भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री स्व० अरूण जेटली की जयंती प्रत्येक वर्ष 28 दिसम्बर को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 2. | डा० अकरम रिजवी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरदाहा, अररिया को दिनांक मार्च 2011 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 3. | डा० उदयशंकर श्रीवास्तव, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विभुतिपुर, समस्तीपुर को वर्ष 2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 4. | डा० (श्रीमती) आशा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखंड, बेगूसराय, सम्प्रति को दिनांक 24.02.15 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 5. | डा० दीनानाथ सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, फुलपरास, मधुबनी को दिनांक 02.06.05 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 6. | डा० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहार, भोजपुर को वर्ष 2000 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 7. | डा० कृष्णा प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिवेणीगंज, सुपौल को दिनांक 22.09.2009 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 7. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

**स्वास्थ्य विभाग**

8. डा० सुबोध कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जोकीहाट, अररिया को दिनांक 02.09.1995 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

9. डा० ध्रुवदेव माली, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवन, सिवान को दिनांक 09.04.2010 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

10. डा० राजू अग्रवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोघरडीहा, मधुबनी को वर्ष 1995 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

11. डा० अजीत कुमार पोद्दार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनाली, कदवा, कटिहार को दिनांक 27.01.2011 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

12. डा० विजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमौर, पूर्णियाँ को दिनांक 01.06.03 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

13. डा० उमेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय को दिनांक 26.02.11 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

14. डा० (श्रीमती) राखी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज को दिनांक 12.08.13 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

15. डा० राघवेश प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधुबनी को दिनांक जनवरी 2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

### स्वास्थ्य विभाग

16. डा० जुवैत सल्फी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिविलगंज, सारण को दिनांक 01.06.2006 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

### स्वास्थ्य विभाग

17. डा० रमेश मिश्र, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चक्की, बक्सर को दिनांक 18.3.11 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 17. स्वीकृत।

### सामान्य प्रशासन विभाग

18. बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

### पथ निर्माण विभाग

19. आर० ब्लॉक-दीघा पथ (फेज-2) के कि०मी० 5.80 से 7.10 (कुल लम्बाई 1.3 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु 6955.88 लाख (उनहत्तर करोड़ पचपन लाख अड़तासी हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 19. स्वीकृत।

### पथ निर्माण विभाग

20. बिहारशरीफ पथ प्रमंडलाधीन नूरसराय से सिलाव पथ भाया बेगमपुर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 22.17 तक (कुल 22.17 कि०मी० पथांश लम्बाई) में क्रॉस ड्रेन, ड्रेन एवं रोड साईनेज आदि कार्य सहित चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु कुल ₹23665.58 लाख (दो सौ छत्तीस करोड़ पैसठ लाख अन्ठावन हजार) रूपये की द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 20. स्वीकृत।

### शिक्षा विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति तथा दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन पर दिनांक 19.01.2020 को दिन में 11:30 बजे से 12:00 बजे तक राज्य व्यापी मानव श्रृंखला के आयोजन हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 19,40,00,000/- (उन्नीस करोड़ चालीस लाख रू०) मात्र राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। 21. स्वीकृत।